# कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी भीकनगाँव (सामान्य)

तहसील भीकनगाँव, जिला खरगोन (म.प्र.) E-mail sdoFTbhikangaon@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2023 / 296 भीकनगाँव, दिनाँक 09 / 02 / 2023

प्रति,

श्रीमान वनमण्डलाधिकारी महोदय,
वनमण्डल खरगोन (सामान्य)

विषय :– 11 के.व्ही. विद्युत लाईन मजरा टोला महेन्द्र फाल्या, दामखेड़ा में विद्युत लाईन का विस्तार कार्य करने की स्वीकृति बावत्।

संदर्भ :– 1) आपका पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2022 / 9574 खरगोन दिनाँक 20.12.2022।
2) वन परिक्षेत्र चिरिया का पत्र क्रमांक / 2023 / 136 चिरिया दिनांक 07.02.2023।

--------0000--------

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के पालन में निवेदन है कि 11 के.व्ही. विद्युत लाईन मजरा टोला महेन्द्र फाल्या, दामखेड़ा में विद्युत लाईन का विस्तार कार्य करने की स्वीकृति बावत् प्रस्ताव क्रमांक/FP/MP/VELEC/154530/2022 की जाँच परिक्षेत्र सहायक चिरिया एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियो के साथ रहकर प्रभावित वनभूमि का मौका स्थल का निरीक्षण दिनाँक 03.02.2023 को किया गया। वन परिक्षेत्र अधिकारी, चिरिया के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 136 दिनाँक 07.02.2023 का अवलोकन करने पर पाया गया कि, 11 के.व्ही. विद्युत लाईन मजरा टोला महेन्द्र फाल्या, दामखेड़ा में विद्युत लाईन का विस्तार कार्य में कुल 08 नग पोल गाड़ने की अनुमति चाही गई है। जाँच के दौरान बीट चिरिया उत्तर के कक्ष क्रमांक 746 में 02 नग पोल वनक्षेत्र तथा शेष पोल वनक्षेत्र से लगी राजस्व भूमि में लगाना प्रस्तावित है। बीट चिरिया उत्तर में प्रथम पोल जी.पी.एस. रिडिंग – **N**-21°36’02.00“ E-75°53’16“, द्वितीय पोल रिडिंग **N**-21°36’03.00“ E-75°53’27“ है। जिसकी लम्बाई 100 मीटर एवं चौड़ाई 07 मीटर में कुल वास्तविक रकबा 0.07 हेक्टर वनभूमि प्रभावित होना प्रस्तावित है। उक्त विद्युत लाईन विस्तार में वृक्षों को किसी प्रकार से कोई क्षति होना नहीं पाया गया है। प्रस्तावित वनभूमि का मौका स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत है।

01) प्रस्तावित योजना स्थल के 02 फोटोग्राफ पत्र के साथ पृथक से संलग्न है।
02) योजना से प्रभावित वनभूमि बीट चिरिया उत्तर के कक्ष क्रमांक 746 में 02 नग पोल में लम्बाई 100 मीटर एवं चौड़ाई 07 मीटर में कुल वास्तविक रकबा 0.07 हेक्टर वनभूमि का उपयोग होना पाया गया है।
03) प्रस्तावित वनक्षेत्र में वन्य प्राणियों की गणना का विवरण (विगत वन्य प्राणी गणना के अनुसार) वन्य प्राणियों के नाम एवं संख्या सहित पृथक से संलग्न है।
04) ऐतिहासिक / पुरातत्व धरोहर न होने का प्रमाण–पत्र पृथक से संलग्न है।
05) वन संरक्षण अधिनियत 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण–पत्र पृथक से संलग्न है।
06) प्रस्तावित योजना के कियान्वयन पर औचित्यपूर्ण टीप पृथक से संलग्न है।
07) न्यूनतम उपयोगिता प्रमाण–पत्र पृथक से संलग्न है।

अतः वन परिक्षेत्र अधिकारी चिरिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा मय दस्तावेज से सहमत होते हुए जाँच प्रतिवेदन अनुशंसा सहित अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

क्र. 1314
दि. 13/02/23

(दिनेश वास्केल)
उप वनमण्डल अधिकारी
भीकनगाँव

D.F.O.



Scanned with CamScanner

IRIYA RANGE

# COMP. NO. : 746

## KHARGONE DIVISION